आवश्यक/समयबद्ध

प0सं0-स0नि0-पूंजीगत मद /निर्माण कार्य /2023-24/ 354 /राज्य कर

कार्यालयः आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(सम्पत्ति अनुभाग)
लखनऊ:दिनांक 07 अगस्त,2023

1. समस्त जोनल अपर आयुक्त
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूँजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य से सम्बन्धित परिपक्व /औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय भवनों में निर्माण /विभागीय भूमि पर नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तथा बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कराये जाने के पूंजीगत मद में एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि रू0 3560.58 लाख का प्राविधान किया गया है।

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य कर विभाग उ0प्र0 की विभागीय भूमि /कार्यालय /आवासीय भवनों की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु तीन राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के परिपक्व /औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध कराने हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या 797 दिनांक 22.03.2023 द्वारा समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश को पूर्व में ही निर्देशित कर दिया गया था।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभागीय आवासीय /कार्यालय भवनों /विभागीय भूमि पर निर्माण /लघु निर्माण /अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव समयान्तर्गत नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्र संख्या 61 दिनांक 24.04.2023 द्वारा समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निदेशक को पत्र प्रेषित किया गया है।

शासन के पत्र संख्या 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 द्वारा सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार) में संशोधन करते हुए, दिये गये निर्देश के अनुक्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या 166 दिनांक 23.05.2023 द्वारा संशोधित सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार) के अनुरूप परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध कराने हेतु समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निदेशक को पत्र प्रेषित किया गया है।

शासन के पत्र संख्या-268/11-4-2023 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण मानक मद संख्या-24-वृहद निर्माण कार्य में रू0 3560.58 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य कर विभाग, उ0प्र0 के जनपद कासगंज, मथुरा, एटा, बहराइच. महोबा, चित्रकूट, सम्भल में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। चहारदीवारी के निर्माण कार्य तथा 42 विभागीय कार्यालय भवन में निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि रू0 2500.00 लाख एवं जनपद सोनभद्र में कार्यालय निर्माण के लिए रू0 1060.58 लाख की व्यवस्था बजट में की गयी है, का उल्लेख करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उक्त सभी जनपदों में निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के आगणन को अनिवार्य रूप से शामिल किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में अविलम्ब प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या 272 दिनांक 07.07.2023 द्वारा समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निदेशक को पत्र प्रेषित किया गया है।

इस प्रकार समय समय पर मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देश के बावजूद भी पूंजीगत मद में परिपक्व /औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध नही कराये जा रहे हैं, जो शासन की प्राथमिकता में है। शासन द्वारा समय समय पर की जा रही समीक्षा बैठक में निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त के साथ-साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूँजीगत मद में प्रावधानित बजट का उपयोग नहीं हो पाने के कारण शासन स्तर पर समीक्षा होने पर विभाग का पक्ष रखने में कठिनाई आ रही है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए, विभागीय कार्यालय भवनों में निर्माण /विभागीय भूमि पर नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तथा बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कराये जाने हेतु स्पष्ट संस्तुति सहित परिपक्व /औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव अविलम्ब मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2/8/23

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

01. अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
02. अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
03. संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0/प्रभारी-नजारत) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
04. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु प्रेषित।

(राम सजीवन मिश्रा)
संयुक्त आयुक्त (सम्पत्ति) राज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।